शासकीय स्वशासी संस्था महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इंदौर)

क्रमांक......../स्था/स्वशासी/सु.स्पे./2022 इंदौर दिनांक 5/10/22

15627

// कार्यालयीन आदेश//

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर से संबंद्ध सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय इंदौर में सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 19522/SS/स्था/अवि/2021 इंदौर द्वारा एम पी आनलाईन के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया था। एम पी ऑनलाईन द्वारा दिनांक 30.01.2022 को परीक्षा का आयोजन किया गया था एवं परीक्षा उपरांत उत्तीर्ण आवेदकों की मैरिट सूची एम पी ऑनलाईन द्वारा प्रेषित की गई है। संभागायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति स्वशासी संस्था इंदौर से अनुमोदन एवं अधिष्ठाता महोदय के आदेशानुसार गठित चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित निम्नलिखित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से **आगामी आदेश तक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इंदौर में अंतिम रुप से (प्रोविजिनल) पदस्थ किया जाता है।**

No.	NAME OF CANDIDATE	FATHER NAME	CANDIDATE CATEGORY	SELECTION CATEGORY	POST	PAY SCALE
1	ARATI VERMA	MANOHAR VERMA	OBC	UR	PHARMACIST (GRADE II)	5200-20200+2400

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी –

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात जिला चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा एवं स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
3. म.प्र. शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–9/3/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5/1/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार म.प्र. सामान्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
4. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिर्वायत कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
5. आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी।

26.8.22

Scanned with CamScanner

6. **म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70% द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।**
7. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
8. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिव/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
9. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
10. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित नही होगी।
11. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण–पत्र, उपाधियॉ एवं अन्य प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करना होगी तथा मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगी ।
12. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
13. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर सह चिकित्सकीय परिषद का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
14. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
15. संबंधित का कार्य व व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
16. शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तो में परिवर्तन किये जा सकते है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तो में भी हो सकता है।
17. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
18. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद् प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रू. 3/– का ट्रैजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।

19 आपको न्यूनतम 3 वर्ष की सेवायें देने हेतु **अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र** निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर आपको 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।

26.8.22

20 आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में यदि भविष्य में किसी भी तरह की कोई शिकायत/आपत्ति प्राप्त होने पर जाँच के पश्चात शिकायत सही पाये जाने पर आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

21 संबंधित को नियुक्ति हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(डॉ संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गां.स्मृ.चिकि.महावि.एवं संबंद्ध चिकित्सालय
(स्वशासी संस्था), इंदौर

पृ. क्रमांक/ /स्था/स्वशासी/S.S.H./2022 इंदौर दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

2 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल।

3 आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर।

4 अतिरिक्त महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर।

5 प्रभारी अधिकारी, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल इंदौर।

6 सिविल सर्जन, मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय इंदौर।

7 लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय, इंदौर की ओर भेजकर लेख है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी 3–13/2009/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70% द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

8 संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

9 कार्यालय आदेश नस्ति।

//

(डॉ संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गां.स्मृ.चिकि.महावि.एवं संबंद्ध चिकित्सालय
(स्वशासी संस्था), इंदौर

26.8.22

Scanned with CamScanner